-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 18.11.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **पुलिस लाइन में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के विविध प्रावधानों एवं अपराध नियंत्रण के बारे में दिया गया प्रशिक्षण।**

विवरण- आज दिनांक 18.11.2025 को पुलिस लाइन में **अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज** द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों को **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)** के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें नई संहिता के अद्यतन प्रावधानों, प्रक्रियाओं तथा आधुनिक पुलिसिंग की आवश्यकताओं पर विशेष रूप से जानकारी दी गई।अपर पुलिस अधीक्षक ने रिक्रूट आरक्षियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सरल और प्रभावी बनाने हेतु अनेक महत्वपूर्ण बदलाव शामिल किए गए हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक पुलिसकर्मी इन प्रावधानों को भली-भाँति समझे और इन्हें व्यावहारिक रूप से लागू करने में दक्ष हो। प्रशिक्षण के दौरान गिरफ्तारी एवं जमानत संबंधी संशोधित प्रावधानों, मामलों की समयबद्ध व वैज्ञानिक जांच, महिला व बच्चों से जुड़े प्रकरणों में संवेदनशीलता आधारित कार्यवाही, डिजिटल सबूतों के संरक्षण एवं उपयोग, तथा पुलिस की जवाबदेही एवं व्यवहार संहिता जैसे बिंदुओं के बारे में जानकारी दी गई। रिक्रूट आरक्षियों को बताया गया कि नई संहिता के तहत तकनीक का उपयोग बढ़ेगा, इसलिए डिजिटल रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन रिपोर्टिंग और तकनीकी उपकरणों के सही उपयोग का कौशल आवश्यक है। अपर पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा कि कानून का ज्ञान केवल परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि फील्ड में व्यवहारिक उपयोग के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। प्रत्येक पुलिसकर्मी को जनता के साथ संवाद करते समय संवेदनशीलता, धैर्य और प्रोफेशनल व्यवहार का पालन करना चाहिए। उन्होंने रिक्रूट आरक्षियों को निर्देश दिया कि वे संहिता के प्रावधानों का गंभीरता से अध्ययन करें और पुलिस सेवा के दौरान इनका शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें।